an>

Title: Regarding implementation of Prime Minister Crop Insurance Scheme in Bhandara-Gondiya Parliamentary Constituency of Maharashtra.

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा किसानों के हित वास्ते लाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए चुनी गयी बीमा कंपनियों की नियुक्ति अवधि वर्तमान में एक वर्ष है। इसे बढ़ाकर कम से कम पांच वर्ष किया जाए, जिससे किसानों को सम्पर्क करने में जो असुविधा होती है, वह दूर हो जाएगी। धान की फसल के लिए जोखिम स्तर 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाए, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। ऋणधारक किसानों को इस योजना में सख्ती नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि पिछले दो वर्षों से धान की फसल वास्ते किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इसके कारण किसानों में नाराजगी है। धान की खेती के लिए मौसम के आधार पर फसल बीमा योजना लागू की जाए, ताकि किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो।

मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री ओम बिरला,

डॉ. मनोज राजोरिया,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री नाना पटोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।